बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

कार्यालय आदेश

जिला पदाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 694 दिनांक 10.06.2024 के क्रमांक–8 पर अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में सेवाकाल में मृत्योपरांत स्व0 राजन सिन्हा, जंजीरवाहक के आश्रित पुत्र श्री अमन कुमार को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान **लेवल–2 (ग्रेड पे–1900)** में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ खान एवं भूतत्व लिपिकीय संवर्ग के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए जिला खनन कार्यालय, किशनगंज में पदस्थापित किया जाता है।

2. योगदान के समय श्री अमन कुमार को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में श्री अमन कुमार को योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. श्री अमन कुमार को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. श्री अमन कुमार का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 1418 दिनांक 16.05.2025 से प्राप्त है।

8. श्री अमन कुमार की परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष की होगी।

9. मृत सरकारी सेवक के परिवार के भरण–पोषण का दायित्व नियुक्त कर्मी पर होगा और दायित्वों की अवहेलना को गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा देय परिलब्धियों का एक निश्चित अंश मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों को देने का आदेश दिया जाएगा।

10. श्री अमन कुमार को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जिला खनन कार्यालय, किशनगंज में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

P.T.O.

11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

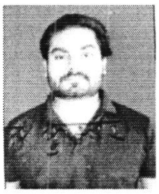

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र0–I–(क्षे0स्था0)नियुक्ति–01/24–..................एम, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र0–I–(क्षे0स्था0)नियुक्ति–01/24–..................एम, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही जिला पदाधिकारी, किशनगंज से अनुरोध है कि श्री अमन कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, खान एवं भूतत्व विभाग के जिला खनन कार्यालय, किशनगंज में योगदान के उपरांत श्री शाहनवाज आलम, निम्नवर्गीय लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय–टेढ़ागाछ की प्रतिनियुक्ति (जिला पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक 188 दिनांक 17.03.2026 के आलोक में) समाप्त करने के संबंध में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र0–I–(क्षे0स्था0)नियुक्ति–01/24–..................एम, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र0–I–(क्षे0स्था0)नियुक्ति–01/24–..................एम, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र0–I–(क्षे0स्था0)नियुक्ति–01/24–..................एम, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–श्री अमन कुमार, पिता–स्व0 राजन सिन्हा, बहादुरपुर, पो0–बहादुरपुर, थाना–औद्योगिक, प्रखंड–सबौर, अनुमंडल–भागलपुर, जिला–भागलपुर, बिहार, पिन–813210 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र0–I–(क्षे0स्था0)नियुक्ति–01/24–2496 एम, पटना, दिनांक 13/04/26
प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर (विभाग एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

Anjaliji/ KaryalayaAdesh